

खाद्य सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में सतत छोटे पैमाने की मात्रिस्यकी सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देश



प्रकाशक :

इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशवर्कर्स (आईसीएसएफ)

27, कॉलेज रोड चेन्नई 600 006,

भारत

फोन : (91) 44-2827 5303

फैक्स : (91) 44-2825 4457

ईमेल : icsf@icsf.net

वेबसाइट : www.icsf.net



आईसीएसएफ दुनिया भर में मछुआरों से सारोकार रखने वाले मुद्दों पर काम करने वाला एक अंतरराष्ट्रीय एनजीओ है. इसकी हैसियत संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में और आईएलओ की गैर सरकारी अंतरराष्ट्रीय संगठनों की विशेष सूची में है. इसे एफएओ के साथ सम्पर्क करने का भी दर्जा प्राप्त है. सामुदायिक आयोजकों, शिक्षकों, तकनीशियनों, शोधकर्ताओं और वैज्ञानिकों के एक वैश्विक नेटवर्क के रूप में, आईसीएसएफ की गतिविधियों में निगरानी एवं शोध, लेन-देन एवं प्रशिक्षण, अभियान एवं संघर्ष के साथ समुदाय शामिल हैं.

सहयोग :



बे ऑफ बंगाल लार्ज मेराइन इकोसिस्टम (बीओबीएलएमई) प्रोजेक्ट फुकेत, थाइलैंड, बांगलादेश, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, श्रीलंका एवं थाईलैंड बे ऑफ बंगाल लार्ज मेराइन इकोसिस्टम (बीओबीएलएमई) प्रोजेक्ट के माध्यम से बंगाल की खाड़ी के पर्यावरण एवं उसकी मात्रिस्यकी के क्षेत्रीय प्रबंधन में सुधार के द्वारा तटीय आबादी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए सहयोग कर रहे हैं.

2015

मुद्रक :

एल.एस. ग्राफिक प्रिंट्स

नम्बर 13, स्वामी नाइकेन स्ट्रीट, चिंताद्रीपेट,

चेन्नई 600 002.

चित्रण और डिजाइन : अर्जुन शंकर

आईएसबीएन 978 93 80802 49 7

सारांश

खाद्य सुरक्षा और
गरीबी उन्मूलन के
संदर्भ में सतत छोटे
पैमाने की मात्रिकी
सुनिश्चित करने के लिए
स्वैच्छिक दिशानिर्देश

खाय सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में सतत लघु मात्रिकी सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देशों (एसएसएफ दिशानिर्देश) को संयुक्त राष्ट्र के खाय और कृषि संगठन (एफएओ) के सदस्य देशों द्वारा अपनाया गया और आधिकारिक तौर पर जून 2014 में एक अंतरराष्ट्रीय साधन के रूप में अनुमोदित किया गया.

एसएसएफ दिशानिर्देश के बारे में बहुत खास है कि यह दुनिया भर में सहित में - छोटे पैमाने के मछुआरों की उनके देशों के मात्रिकी क्षेत्र में उनकी स्थिति एवं भूमिका की अधिक स्वीकृति के लिए अपील करते हुए संघर्षों के बहुत लंबे इतिहास के परिणाम के तौर पर तैयार हुआ है.

हालांकि, दुनिया भर में, छोटे पैमाने के मछुआरे मछली अर्थव्यवस्थाओं की रीढ़ हैं, लेकिन मात्रिकी क्षेत्र की आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है और अक्सर भेदभाव किया जाता है. इस उपेक्षा के बावजूद यह क्षेत्र बच गया है और अधिकांश देशों में सहित - जीवंत बना हुआ है.

जबकि, दशकों तक इस "सरकारी उपेक्षा" के परिणामस्वरूप, कई देशों में छोटे पैमाने के मछुआरा समुदाय मछली पकड़ने के सबसे बड़े हिस्से का योगदान करते हुए भी लगातार कमजोर एवं उपेक्षित हैं और सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अपने मानवाधिकारों से वंचित हैं.

एसएसएफ दिशानिर्देश एफएओ सदस्य देशों द्वारा इस वास्तविकता को मान्यता, छोटे पैमाने की मात्रिकी को मात्रिकी विकास एवं प्रबंधन के केन्द्र बिंदु में लाने का एक प्रयास दोनों ही हैं.

इंटरनेशनल कलेक्टिव इन सपोर्ट ऑफ फिशर्कर्स (आईसीएसएफ) एक अग्रुआ नागरिक समाज संगठन (सीएसओ) था जिसने कि इन दिशानिर्देशों को एक अत्यंत भागीदारी बनाने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. वास्तव में, इन दिशानिर्देशों को एफएओ यूएन द्वारा आईसीएसएफ की कार्यकारी सचिव चन्द्रिका शर्मा को अधिकारिक तौर पर समर्पित किया गया है, जो कि दुनिया भर में छोटे पैमाने के मछुआरों के अधिकारों की हिमायती थी. वे मार्च 2014 में मलेशियाई एयरलाइंस के विमान एमएच-370 के लापता हो जाने के समय से ही लापता हैं; वे दिशानिर्देशों को पास कराने के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते एक एफएओ सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंगोलिया जा रही थीं.

इन दिशानिर्देशों में 100 अनुच्छेद हैं जो कि 13 भागों में बंटे हुए हैं. यह दस्तावेज दिशानिर्देश के विषय वस्तु का केवल एक सारांश है. इसे आईसीएसएफ के संस्थापक सदस्य जॉन कुरियन द्वारा आईसीएसएफ के लिए तैयार किया गया, जिन्होंने दुनिया भर के कई इलाकों में, खासकर भारत के केरल में, छोटे पैमाने के मछुआरों के साथ पिछले चार दशकों तक काम किया है.



प्रस्तावना

जवाबदेह मातिस्यकी के लिए 1995 एफएओ आचार संहिता के पूरक के तौर पर एसएसएफ दिशानिर्देश विकसित किये गये थे. ये छोटे पैमाने की मातिस्यकी को संबोधित करते हैं और पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के द्वारा की जाने वाली पूरी मूल्य शृंखला के साथ समस्त गतिविधियों को शामिल करते हैं। विश्व भर में कुल मछली पकड़ने में से आधा योगदान छोटे पैमाने की मातिस्यकी का है और इसमें दुनिया के 90 प्रतिशत मछुआरों और मछली मजूदरों को रोजगार मिला हुआ है। छोटे पैमाने की मातिस्यकी एवं मछुआरा समुदाय खास विशेषताओं के सहित विविध एवं गतिशील उपक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जो कि उनके स्थान पर निर्भर करता है। वे अक्सर पारिवारिक उद्यम होते हैं, जो कि मजबूती से स्थानीय समुदायों में आश्रित होते हैं। वे लगातार उपेक्षित हैं। छोटे पैमाने की मातिस्यकी समुदायों में गरीबी की प्रकृति बहुआयामी है। छोटे पैमाने की मातिस्यकी सुनिश्चित करने एवं उनका योगदान बढ़ाने में कई चुनौतियों एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ये दिशानिर्देश अद्वितीय, भागीदारी और परामर्शी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किए गए। ये अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों के संगत हैं एवं उन्हें बढ़ावा देते हैं।




1. उद्देश्य

एसएसएफ दिशानिर्देश का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होगा कि छोटे पैमाने की मात्रिकी निम्नलिखित करें :

- वैशिक खाद्य सुरक्षा बढ़ाना;
- पृथ्वी की आर्थिक और सामाजिक भविष्य के लिए अपने योगदान को बढ़ावा देना;
- मछुआरों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए योगदान करना;
- मछली संसाधनों का सतत उपयोग हासिल करना.


इस प्रक्रिया में, दिशानिर्देशों को छोटे पैमाने की मात्रिकी की भूमिका, योगदान और क्षमता के बारे में जनता में जागरूकता में वृद्धि करनी चाहिए.

इन उद्देश्यों को एक मानवाधिकार आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के माध्यम से हासिल किया जाना चाहिए. छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों को निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने, और मछली संसाधनों के सतत उपयोग के लिए जिम्मेदारी संभालने के लिए सशक्त किया जाना चाहिए. इन दिशानिर्देशों में विकासशील देशों की जरूरतों एवं छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के बीच कमज़ोर और उपेक्षित समूहों की चिंताओं एवं लाभ के लिए जोर दिया जाता है.



2. प्रकृति और कार्य क्षेत्र

एसएसएफ दिशानिर्देश विकासशील देशों पर फोकस करते हुए, स्वैच्छिक और कार्यक्षेत्र में वैशिक हैं। इन्हें समुद्री एवं अंतर्देशीय जलीय क्षेत्रों में समस्त मछली संबंधी गतिविधियों को शामिल करने के लिए समझा जाता है। ये मात्रिकी से संबंधित सभी हितधारकों – राज्यों, अंतरराष्ट्रीय एनजीओ, नागरिक समाज संगठनों, एनजीओ, शैक्षणिक संस्थानों एवं निजी क्षेत्र – को संबोधित करते हैं। ये छोटे पैमाने की मात्रिकी की विविधता को स्वीकार करते हैं और स्वीकार करते हैं कि उनके लिए कोई मानक परिभाषा नहीं हो सकती। राज्यों को, भागीदारीपूर्ण और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से, परिभाषित करना चाहिए कि कौन सी मात्रिकी छोटे पैमाने की है – इस प्रकार इन दिशानिर्देशों के दायरे के भीतर ही – और उनमें सबसे कमजोर लोगों की पहचान करनी चाहिए क्योंकि दिशानिर्देश उनके लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। दिशानिर्देशों की व्याख्या एवं अमलीकरण राष्ट्रीय कानूनी प्रणाली और संस्थाओं के अनुसार की जानी चाहिए।



3. मार्गदर्शक सिद्धांत

ये दिशानिर्देश 13 मार्गदर्शक सिद्धांतों पर आधारित हैं. ये कमजोर और उपेक्षित समूहों और समुचित भोजन के अधिकार के प्रगतिशील अहसास का समर्थन करने की जरूरत पर ध्यान देते हुए, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार मानकों, जवाबदेह मात्रिस्यकी मानकों और टिकाऊ विकास प्रथाओं पर आधारित हैं.

इन सिद्धांतों में शामिल हैं:

1. मानवाधिकार और गरिमा;
2. संस्कृतियों का सम्मान;
3. गैर-भैदभाव;
4. लैंगिक समानता और निष्पक्षता;
5. निष्पक्षता और समानता;
6. परामर्श और भागीदारी;
7. विधि का शासन;
8. पारदर्शिता;
9. जवाबदेही;
10. आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता;
11. समग्र और एकीकृत वृष्टिकोण;
12. सामाजिक जवाबदेही; एवं
13. संभाव्यता और सामाजिक एवं आर्थिक व्यवहार्यता.

4. अन्य अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के साथ संबंध

एसएसएफ दिशानिर्देश की व्याख्या राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत और उपयुक्त क्षेत्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय उपकरणों के तहत स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए मौजूदा अधिकारों और दायित्वों के अनुरूप की जानी चाहिए एवं उन्हें लागू किया जाना चाहिए.

इन दिशानिर्देशों को संशोधनों को निर्देशित करने एवं नए या अनुपूरक विधायी और विनियामक प्रावधानों को प्रेरित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है. जबकि, दिशानिर्देश में कोई भी बात को किसी अधिकारों या दायित्वों को सीमित या कम आंकने के तौर पर नहीं पढ़ा जाना चाहिए जिनसे राज्य अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत संबंधित हो सकते हैं.



5. छोटे पैमाने पर मातिस्यकी और संसाधन प्रबंधन में स्वामित्व का शासन

क. स्वामित्व का जवाबदेह शासन

उपयुक्त संसाधनों के स्वामित्व के जवाबदेह शासन छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों की सामाजिक आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास की प्राप्ति एवं मानवाधिकारों को हासिल करने के लिए प्रमुख हैं। छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों को मछली संसाधनों, मछली पकड़ने के क्षेत्रों और आसपास की भूमि और जंगलों का सुरक्षित, न्यायसंगत और सामाजिक-सांस्कृतिक रूप से उपयुक्त स्वामित्व का अधिकार होना चाहिए। महिलाओं के स्वामित्व के अधिकारों पर विशेष ध्यान दी जानी चाहिए। वैध स्वामित्व अधिकारों के सभी स्वरूपों की पहचान करना, दर्ज करना एवं सम्मान किया जाना चाहिए। इसे यदि जरूरी हो तो, विशेषकर जलीय संसाधनों एवं आदिवासी लोगों और नस्लीय अल्पसंख्यकों की जमीन के प्रथागत एवं तरजीही अधिकारों को ध्यान में रखते हुए, कानून के साथ शुरू किया जाना चाहिए। जहां कानूनी सुधारों ने महिलाओं को अधिकार प्रदान की है, उन्हें प्रथागत स्वामित्व व्यूवस्था में उपयुक्त रूप से शामिल किया जाना चाहिए। स्थानीय जलीय और तटीय पारिस्थितिकी को बहाल, संरक्षण, रक्षा और सह प्रबंधन करने की छोटे पैमाने के मछली पकड़ने वाले समुदायों और स्वदेशी लोगों की भूमिका को मान्यता दी जानी चाहिए। जहां भूमि एवं जल संसाधनों पर राज्यों का मालिकाना या नियंत्रण है, वहां सामाजिक आर्थिक और पर्यावरणीय उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उनके स्वामित्व के अधिकार को स्थापित किया जाना चाहिए, खासकर, जब वे छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों द्वारा सामूहिक रूप से इस्तेमाल एवं प्रबंधित किये जाते हों।

राष्ट्रीय जल में मछली पकड़ने के वास्ते छोटे पैमाने की मातिस्यकी के लिए तरजीही पहुंच प्रदान करने को जवाबदेह मातिस्यकी के लिए आचार संहिता (अनुच्छेद 6.18) में शामिल किया जाता है। इसे स्थापित करते हुए, राज्यों को छोटे पैमाने की मातिस्यकी के लिए विशेष क्षेत्रों जैसे उपायों को लागू करना चाहिए। तीसरे पक्ष के साथ संसाधनों का उपयोग प्रदान करने का समझौता करने से पहले, ऐसे इलाकों के लिए छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के दावों पर खास ध्यान दिया जाना चाहिए।

अन्य उपयोगकर्ता छोटे पैमाने की मातिस्यकी क्षेत्रों के लिए अधिक प्रतिस्पर्धा के लिए जोर लगा रहे हैं, जिससे संघर्ष बढ़ता है। राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि

छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों को विशेष मदद दी जाए एवं उन्हें मनमाने तरीके से बेदखल न किया जाए या उनके वैध स्वामित्व के अधिकारों का उल्लंघन या हनन न हो. बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाओं के मामले में, राज्यों एवं अन्य पक्षों को छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों पर प्रभाव का आकलन करने के लिए सार्थक विचार-विमर्श एवं प्रासंगिक प्रभाव अध्ययन करने चाहिए.

राज्यों द्वारा छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों को शामिल करते हुए, पुनर्निर्माण, क्षतिपूर्ति, न्यायपूर्ण मुआवजा और हर्जाना सहित समय पर, सस्ती और प्रभावी ढंग से उपचार लागू करते हुए स्वामित्व के अधिकार पर विवाद को हल किया जाना चाहिए.

प्राकृतिक आपदा और/या सशस्त्र संघर्ष से होने वाले विस्थापन छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों को तेजी से प्रभावित कर रहे हैं. राज्यों को मछली संसाधनों के स्थायित्व को ध्यान में रखते हुए, पारंपरिक मछली पकड़ने के आधार और तटीय भूमि के उपयोग को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए. इन परिस्थितियों में, गंभीर मानवाधिकार हनन से प्रभावित समुदायों को उनके जीवन के पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए उपाय स्थापित किये जाने चाहिए और स्वामित्व के प्रथाओं में महिलाओं के खिलाफ समस्त भेदभाव को समाप्त किया जाना चाहिए.

ख. सतत संसाधन प्रबंधन

मछली संसाधनों के दीर्घकालिक संरक्षण और सतत उपयोग के लिए उपाय अपनाने चाहिए एवं छोटे पैमाने की मात्रिकी की जरूरतों एवं अवसरों को उचित मान्यता दी जानी चाहिए. अधिकार जिम्मेदारियों के साथ साथ चलते हैं. संरक्षण और सतत उपयोग की दिशा में ध्यान केंद्रित कर्तव्यों से स्वामित्व के अधिकार संतुलित होते हैं.

छोटे पैमाने की मात्रिकी में मछली पकड़ने की ऐसी प्रथाओं का उपयोग किया जाना चाहिए जो कि पर्यावरण और संबंधित प्रजातियों के लिए कम से कम नुकसानदेह हों. राज्यों को संसाधन प्रबंधन की जवाबदेही लेने के लिए छोटे पैमाने की मात्रिकी का समर्थन करना चाहिए. राज्यों को महिलाओं एवं अन्य कमज़ोर समूहों की समान भागीदारी सुनिश्चित करते हुए, उपायों के डिजाइन, नियोजन एवं क्रियान्वयन में समुदायों को शामिल करना चाहिए. राष्ट्रीय कानूनों के दायरे के अंतर्गत, राज्यों को भागीदारी प्रबंधन प्रणालियों को बढ़ावा देना चाहिए.

राज्यों को कानूनी रूप से समर्थित प्रक्रियाओं को कायम रखने के लिए, सह प्रबंधन व्यवस्थाओं के संबंध में सभी पक्षों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट करना चाहिए. छोटे पैमाने की मात्रिकी का प्रासंगिक स्थानीय एवं राष्ट्रीय पेशेवर संघों और निकायों में प्रतिनिधित्व होना चाहिए और मात्रिकी से संबंधित निर्णयों एवं नीति निर्माण प्रक्रियाओं में भागीदारी होनी चाहिए.

सह प्रबंधन को बढ़ावा देने में, राज्यों और छोटे पैमाने के मछुआरों दोनों को अपने ज्ञान, वृष्टिकोण और जरूरतों के योगदान के लिए, मछली पकड़ने में, और मछली पकड़ने के पहले एवं बाद के कार्य में संलग्न महिलाओं एवं पुरुषों को मदद करना चाहिए.

राज्यों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि साझा जल एवं संसाधनों के मामले में जहां सीमा पार के मुद्दे शामिल हों, वहां छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के स्वामित्व के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए.

राज्यों को ऐसी नीतियों और वित्तीय उपायों से बचना चाहिए जो कि मछली की अतिक्रमता उत्पन्न करने में योगदान करे, जिससे अत्यधिक मछली उत्पादन हो एवं छोटे पैमाने की मात्रिकी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले.

6. सामाजिक विकास, रोजगार और उपयुक्त काम

सभी पक्षों को छोटे पैमाने की मात्रिकी के विकास और प्रबंधन के लिए एक समग्र दृष्टिकोण रखना चाहिए. राज्यों को स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, डिजिटल समावेश एवं अन्य तकनीकी कौशल में निवेश को बढ़ावा देना चाहिए.

राज्यों को पूरी मूल्य श्रृंखला के साथ छोटे पैमाने की मात्रिकी में कार्यरत सभी लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए. राज्यों को बचत, ऋण और बीमा जैसी सेवाओं में महिलाओं को शामिल किये जाने पर जोर देते हुए इन योजनाओं के विकास का समर्थन करना चाहिए.

सभी पक्षों को छोटे पैमाने की मात्रिकी की समस्त गतिविधियों को आर्थिक और व्यावसायिक क्रियाकलापों के तौर पर मान्यता देनी चाहिए.

राज्यों को सभी के लिए उपयुक्त काम को बढ़ावा देना चाहिए.

राज्यों को छोटे पैमाने के मछुआरों और मछली मजदूरों के जीवन के समुचित मानक के लिए अधिकार के प्रगतिशील अहसास को सुनिश्चित करना चाहिए. राज्यों को समावेशी, गैर भेदभावपूर्ण एवं ठोस आर्थिक नीति को इस क्रम में आगे बढ़ाना चाहिए कि मजदूरों को अपने श्रम, पूँजी और प्रबंधन से एक न्यायोचित प्रतिफल मिले. राज्यों और अन्य पक्षों को वैकल्पिक आय सृजन के अवसर का समर्थन करना चाहिए. छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के लिए उनकी मछली संबंधित गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए परिस्थिति तैयार किया जाना चाहिए.

प्रवासन एक आम आजीविका की रणनीति है. राज्यों को मछुआरों के सीमा पार आवागमन की अंतर्निहित वजहों एवं परिणामों की पहचान एवं उन्हें संबोधित करना चाहिए.

राज्यों को पेशेवर स्वास्थ्य, सुरक्षा और अनुचित काम करने की परिस्थिति को संबोधित करना चाहिए. राज्यों को बेगारी उन्मूलन की दिशा में काम करना चाहिए एवं कर्ज की गुलामी को रोकना चाहिए.

राज्यों को बच्चों की भलाई एवं उनके भविष्य के लिए शिक्षा के महत्व की पहचान करते हुए स्कूलों की उपलब्धता एवं शिक्षण सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए.

सभी पक्षों द्वारा समुद्र में एवं देश के अंदर जल में सुरक्षा की जटिलता और कमी के पीछे कई कारणों की पहचान करनी चाहिए.

छोटे पैमाने की मात्रिकी की सुरक्षा और पेशेवर स्वास्थ्य को मात्रिकी के सामान्य प्रबंधन में एकीकृत किया जाना चाहिए.

सशस्त्र संघर्ष की स्थितियों में राज्यों को छोटे पैमाने की मात्रिकी के हितधारकों के मानवाधिकारों और गरिमा की रक्षा करनी चाहिए.

7. मूल्य शृंखला, उत्पादन के बाद व व्यापार

सभी पक्षों द्वारा छोटे पैमाने की मात्रिकी के उत्पादन के बाद के उप-क्षेत्र की केंद्रीय भूमिका की पहचान करनी चाहिए. महिलाएं उत्पादन के बाद के उप-क्षेत्र में एक केंद्रीय भूमिका निभाती हैं और इसे सभी पक्षों द्वारा स्वीकार करना चाहिए.

उत्पादन के बाद के उप-क्षेत्र के उपयुक्त ढांचों, संगठनात्मक संरचनाओं एवं क्षमता विकास में निवेश को बढ़ावा और राज्य द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए.

मछुआरों और मछली मजदूरों के संघों के पारंपरिक स्वरूप को मान्यता देनी चाहिए.

उत्पादन के बाद के घाटे से बचने के लिए और मूल्य संवर्धन तैयार करने के लिए तरीके तलाशने चाहिए.

राज्यों को स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में छोटे पैमाने की मात्रिकी के उत्पादों के समान और भेदभाव रहित व्यापार को बढ़ावा देना चाहिए. अंतरराष्ट्रीय मछली व्यापार को बढ़ावा देने पर उन लोगों की पोषण संबंधी जरूरतों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए जिनके लिए मछली एक सस्ता भोजन है जो कि उनके आहार और समग्र पोषण संबंधी सेहत के लिए महत्वपूर्ण है.

अंतरराष्ट्रीय व्यापार से होने वाले लाभ का न्यायोचित वितरण होना चाहिए और बाजार की मांग से संचालित मछली संसाधनों के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए व्यवस्था होनी चाहिए.

पर्यावरण, सामाजिक और अन्य प्रासंगिक आकलनों (अन्य के साथ) को यह सुनिश्चित करने के लिए नीतियों एवं प्रक्रियाओं का अभिन्न अंग होना चाहिए कि पर्यावरण और

छोटे पैमाने की मात्रिकी की संस्कृति, खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका का अंदाज लगाया जा सके एवं न्यायोचित तरीके से संबोधित किया जा सके.

छोटे पैमाने की मात्रिकी की मूल्य श्रृंखला में हितधारकों के लिए समय पर और सटीक बाजार और व्यापार सूचना की पहुंच को राज्य द्वारा सक्रिय किया जाना चाहिए.


8. लैंगिक समानता

लैंगिक मुख्य धारा समस्त छोटे पैमाने की मात्रिकी विकास रणनीतियों का एक अभिन्न हिस्सा होना चाहिए. राज्यों को अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून के तहत महिलाओं के मुद्दों से संबंधित अपने दायित्वों का पालन करना चाहिए और उन उपकरणों को लागू करना चाहिए जिनके वे पक्ष हैं.

महिलाओं के खिलाफ भेदभाव को संबोधित करने के लिए विशेष उपाय अपनाया जाना चाहिए. नीतियों और कानून की स्थापना करके एवं जो इन उद्देश्यों के असंगत हों उन्हें बदलकर लैंगिक समानता को हासिल करना चाहिए.

महिलाओं की स्थिति में सुधार एवं लैंगिक समानता हासिल करने के लिए कानून, नीतियों एवं कार्यवाहियों के प्रभाव के आकलन के लिए कार्यात्मक मूल्यांकन प्रणालियों को विकसित किया जाना चाहिए.

महिलाओं के काम के लिए उपयुक्त महत्व के बेहतर तकनीकों का विकास किया जाना चाहिए.



9. आपदा जोखिम और जलवायु परिवर्तन

जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने के लिए जरूरी और महत्वाकांक्षी कार्रवाई की आवश्यकता है. छोटे द्वीपों पर रहने वाले छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के लिए विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए. पार-क्षेत्रीय सहयोग के साथ एक एकीकृत और समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है. अनुकूलन, शमन और सहायता के लिए, जितना उचित हो, योजनाएं प्रदान की जानी चाहिए.

मनुष्यों के कारण आने वाली आपदाओं के मामले में, जो कि छोटे पैमाने की मात्रिकी को प्रभावित करे, जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए. उत्पादन के बाद एवं व्यापार गतिविधियों के विभिन्न पहलुओं पर जलवायु परिवर्तन और आपदाओं के प्रभाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए. आपदा प्रतिक्रिया और पुनर्वास में "पहले से बेहतर निर्माण" की अवधारणा को लागू करना चाहिए. पूरी मूल्य शृंखला के साथ ऊर्जा दक्षता को प्रोत्साहित किया और बढ़ावा दिया जाना चाहिए.



10. नीति सांमजस्यता, संस्थागत समन्वय और सहयोग

छोटे पैमाने पर मछली मकड़ने वाले समुदायों में समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए, राज्यों को जरूरत की पहचान करनी चाहिए, एवं नीति सांमजस्यता की दिशा में काम करना चाहिए.

राज्यों को छोटे पैमाने की मात्रिकी के हितों एवं समेकित तटीय क्षेत्र प्रबंधन में भूमिका पर उचित ध्यान देते हुए, स्थानिक नियोजन वृष्टिकोण का विकास एवं उपयोग करना चाहिए.


राज्यों को उन नीतियों की सामंजस्यता सुनिश्चित करने के लिए नीति उपाय अपनाने चाहिए जो कि अंतर्देशीय जल निकायों और इकोसिस्टकम के सहत को प्रभावित करते हैं.

मछली नीति में सतत छोटे पैमाने की मात्रिकी के लिए एक दीर्घकालिक वृष्टि प्रदान करना चाहिए.

छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदायों के लिए सरकारी अर्थारिटी और एजेंसियों में संपर्क के पूर्ण-परिभाषित बिंदु होने चाहिए.

छोटे पैमाने की मात्रिकी के हितधारकों को अपने संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना चाहिए.

राज्यों को स्थानीय प्रशासन के ढांचों को बढ़ावा देना चाहिए जो कि छोटे पैमाने की मात्रिकी के प्रभावी प्रबंधन के लिए योगदान करे. सतत छोटे पैमाने की मात्रिकी सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय सहयोग की जरूरत है.



11. सूचना, अनुसंधान और संचार

राज्यों को, पारदर्शी तरीके से, छोटे पैमाने की मात्रिकी के सतत प्रबंधन पर निर्णय प्रक्रिया के लिए प्रासंगिक डेटा संग्रह की व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए. प्रभावी निर्णय प्रक्रिया के लिए संचार और सूचना की आवश्यकता होती है. राज्यों को भृष्टाचार को रोकने, पारदर्शिता बढ़ाने और निर्णयकर्ताओं को जवाबदेह बनाने का प्रयास करना चाहिए.

छोटे पैमाने पर मछली पकड़ने वाले समुदाय ज्ञान के धारक, प्रदाता और हासिल करने वाले होते हैं. जिम्मेदार छोटे पैमाने की मात्रिकी एवं सतत विकास के लिए जरूरी प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध करायी जानी चाहिए. छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के ज्ञान, संस्कृति, प्रथाओं एवं तकनीकों की पहचान करनी चाहिए एवं उनका दस्तावेजीकरण करना चाहिए.

राज्यों को छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों – खासकर आदिवासी लोगों एवं महिलाओं - को सहयोग प्रदान करना चाहिए जो कि निर्वाह के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर हैं. जानकारी के प्रवाह एवं आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए समुदाय, राष्ट्रीय एवं उच्च स्तर पर मौजूदा एवं उपयुक्त मंचों और नेटवर्कों का उपयोग किया जाना चाहिए.

राज्यों को छोटे पैमाने की मात्रिकी अनुसंधान के लिए धन की उपलब्धता सुनिश्चित करना चाहिए और प्रोत्साहित करना चाहिए कि डेटा संग्रह और विश्लेषण सहयोगी और सहभागी हो.

राज्यों को रणनीतियों को प्रेरित करने के लिए विभिन्नों क्षेत्रों में, लैंगिक संबंधों को सही रखने के संदर्भ में, शोध को बढ़ावा देना चाहिए जो कि मात्रिकी में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान लाभ सुनिश्चित करे. छोटे पैमाने की मात्रिकी की भूमिका की पहचान करते हुए, और मछली खाने के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, राज्यों को उपभोक्ता शिक्षण कार्यक्रमों के अंतर्गत मछली के उपभोग को बढ़ावा देना चाहिए.

12. क्षमता विकास

निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदारी करने की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए.

बाजार के अवसरों से लाभ पहुंचाने के लिए, राज्यों को छोटे पैमाने की मात्रिकी के लिए क्षमता निर्माण प्रदान करना चाहिए.

क्षमता विकास दो-तरफा प्रक्रिया होनी चाहिए. सतत विकास एवं सफल सह-प्रबंधन व्यवस्थाओं को सहयोग करने के लिए ज्ञान और कौशल का विकास करना चाहिए.



13. कार्यान्वयन सहयोग और निगरानी

सभी पक्षों को एसएसएफ दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों को इन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए राज्यों द्वारा किये जाने वाले स्वैच्छिक प्रयासों का समर्थन करना चाहिए।

राज्यों और अन्य सभी पक्षों को दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक साथ काम करना चाहिए, और सरलीकृत और अनूदित संस्करणों का प्रसार करना चाहिए।

निगरानी प्रणाली के महत्व को स्वीकार किया जाना चाहिए। दिशानिर्देशों के लिए कार्यान्वयन रणनीतियों के विकास एवं अमलीकरण दोनों में एवं उनकी निगरानी में छोटे पैमाने के मछुआरा समुदायों के वैध प्रतिनिधियों को शामिल किया जाना चाहिए।

एफएओ को वैश्विक सहायता कार्यक्रम के विकास को बढ़ावा देना और समर्थन करना चाहिए।





"खाय सुरक्षा और गरीबी उन्मूलन के संदर्भ में सतत छोटे पैमाने की मात्रियकी सुनिश्चित करने के लिए स्वैच्छिक दिशानिर्देश" का पूरा विषय वस्तु <http://www.fao.org/fishery/topic/18240/en> पर उपलब्ध है।



International Collective in Support of Fishworkers (ICSF)
27 College Road, Chennai 600 006, India

ISBN 978 93 80802 49 7